①

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल

(कक्ष–विकास)

(E-mail:- apccfdev@mp.gov.in, Fax:- 2674339)

क्रमांक/एफ–05/कैम्पा/........./2010/10–3/ 978 भोपाल, दिनांक 25/3/10

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
   वन/वित्त/योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी/लोक निर्माण/
   जल संसाधन/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश, भोपाल।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन्यप्राणी), मध्य प्रदेश, भोपाल।
4. सचिव, वन विभाग, मध्य प्रदेश, भोपाल
5. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,
   केन्द्रीय भवन, रविशंकर नगर भोपाल।
6. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध) मध्य प्रदेश, भोपाल
7. अशासकीय संगठन, समर्थन, सेंटर फॉर डेवलनपमेंट सपोर्ट,
   36 ग्रीन ऐवेन्यू, चूना भट्टी, कोलार रोड़, भोपाल
8. अशासकीय संगठन, प्रदान, श्री रविन्द्र नाथ, भोपाल ब्रांच
   मकान नं. बी–30/ए सहयोग परिसर, ई–8, अरेरा कॉलोनी, भोपाल।

विषयः–प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण मध्य प्रदेश की राज्य स्तरीय संचालन समिति की दिनांक 23.02.2010 को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण ।

–: 0 :–

उपरोक्त विषय में मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन से अनुमोदित कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(हस्ताक्षर) 25/3/10

(जितेन्द्र अग्रवाल)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (विकास)

मध्य प्रदेश, भोपाल

पृ0 क्रमांक/एफ–05/कैम्पा/......./2010/10–3/ 979 भोपाल, दिनांक 25/3/10

प्रतिलिपि–

निज सहायक, मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, मंत्रालय, मध्य प्रदेश की ओर कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न प्रेषित है।

(हस्ताक्षर) 25/3/10

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (विकास)

मध्य प्रदेश, भोपाल

विषयः–स्टेट कैम्पा से राशि की विमुक्ति हेतु मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय संचालन समिति की प्रथम बैठक दिनांक 23.2.2010 का कार्यवाही विवरण।

–0–

सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन के आदेश क्रमांक एफ 19–100/09/1/4/ भोपाल दिनांक 11.8.2009 से मुख्य सचिव, म.प्र. शासन की अध्यक्षता में स्टेट कैम्पा से राशि की विमुक्ति हेतु गठित राज्य स्तरीय संचालन समिति की प्रथम बैठक दिनांक 23.2.2010 को सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

2. सर्वप्रथम समिति के समक्ष स्टेट कैम्पा के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, राज्य शासन द्वारा गठित तीन समितियों के आदेश तथा कैम्पा अंतर्गत उपलब्ध राशि की जानकारी प्रस्तुत की गई। बैठक में प्रथमतः यह निर्णय लिया गया कि समिति की आगामी बैठक में राज्य स्तरीय कैम्पा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इस निधि के लिये गठित कार्यकारिणी समिति के लिये नियमों एवं प्रक्रिया का प्रारुप तैयार कर समिति के अनुमोदनार्थ रखा जावे। यह भी निर्णय लिया गया कि वन मण्डलाधिकारियों के पी.डी.खाते में जमा राशि में से क्षतिपूर्ति वनीकरण तथा एन.पी.व्ही. के अंतर्गत जो आंशिक राशि पूर्व में विमुक्त की गई है, उस राशि के उपयोग की अद्यतन स्थिति भी आगामी बैठक में रखी जावे।

3. तत्पश्चात एजेंडावार चर्चा उपरान्त निम्न निर्णय लिए गए :–

भारत सरकार स्तर से स्टेट कैम्पा में हस्तांतरित राशि रू. 53.04 करोड़ के उपयोग हेतु पुनरीक्षित की गईं क्षतिपूर्ति वनीकरण एवं अन्य रोपण योजनाओं के प्रथम वर्ष के कार्यों के क्रियान्वयन हेतु राशि रुपये 5718.66 लाख के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा इन कार्यों के लिए उपलब्ध राशि रू. 5304 लाख विमुक्त कर इसके उपयोग की अनुमति प्रदान की गई। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि शेष आवश्यक राशि रू. 415 लाख की पूर्ति भारत सरकार स्तर पर कैम्पा अंतर्गत राज्य के मद में उपलब्ध ब्याज की राशि में से दिये जाने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया जावे।

2. बांस वर्ष 2010 हेतु बांस रोपण की तैयारी के लिए वास्तविक आवश्यकता के आधार पर राशि रू. 10 करोड़ की सीमा तक की अतिरिक्त आवश्यकता हेतु राशि रू. 10 करोड़ की पूर्ति भारत सरकार स्तर पर कैम्पा अंतर्गत एन.पी.व्ही. की राशि में से दिये जाने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया जावे।

3. समिति द्वारा एजेंडा अनुसार एन.पी.व्ही. की राशि से वर्ष 2010–2011 के लिए तैयार पुनरीक्षित वार्षिक कार्य आयोजना के प्रस्ताव रू. 172.36 करोड़ पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव, म.प्र.

शासन ने यह जानना चाहा कि जिन कार्यों के लिये राशि प्रस्तावित की जा रही है, क्या उन कार्यों पर एन.पी.व्ही. से राशि व्यय की जा सकती है। बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि इस संबंध में जारी निर्देशों में प्रस्तावित समस्त कार्यों के लिये व्यय किये जाने का प्रावधान है। अतः विचारोपरांत प्रस्तावित रू. 172.36 करोड़ की योजना का अनुमोदन किया गया। अनुमोदित प्रस्ताव अनुसार राशि की मांग भारत सरकार से की जावे।

4. स्टेट कैम्पा में जमा राशि से अधिक से अधिक ब्याज प्राप्ति हेतु प्रस्ताव पर यह निर्णय हुआ कि बैंक की सेवाओं में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के उद्देश्य से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अतिरिक्त अन्य दो राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाते खोले जायें। वन मण्डल स्तर पर इंट्रेस्ट बियरिंग खाता खोलने हेतु प्रथमतः वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर आगामी बैठक में स्वीकृति प्राप्त की जाए। तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए वित्त विभाग की उक्त सहमति प्राप्त होने तक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) द्वारा राशि का हस्तांतरण वनमंडलाधिकारी के पी.डी.खाते में किये जाने तथा वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय) द्वारा उक्त राशि आहरण की अनुमति दी जाती है।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)
मध्य प्रदेश, भोपाल

परिशिष्ट 1

मा.मुख्य सचिव, म.प्र. की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय स्टेट कैम्पा की संचालन समिति की बैठक दिनांक 23.2.2010 में उपस्थित अधिकारियों/सदस्यों की सूची

अ.क्र.	नाम	पदनाम
1	श्री एम.के. राय	अपर मुख्य सचिव, वन विभाग
2	श्री ए.के.दुबे	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र.
3	श्री आर.एस.नेगी	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), म.प्र.
4	श्री प्रभु दयाल मीना	प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग
5	डॉ0 अनिमेष शुक्ला	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
6	श्री जितेन्द्र अग्रवाल	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)
7	श्री रतन पुरवार	सचिव, वन विभाग
8	श्री अश्विनि के. राय	सचिव, वित्त विभाग
9	श्री ए.के.राणा	मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, भोपाल
10	श्री व्ही.एन.पाण्डे	मुख्य वन संरक्षक (योजना)
11	श्री जे.के.मोहन्ती	मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
12	श्री चितरंजन त्यागी	राज्य योजना आयोग. टीम लीडर, पीएमपीएसयू, स्टेट प्लानिंग कमिश्नर, भोपाल
13	श्री संतोष मिश्रा	उप सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास
14	श्री अतुल मिश्रा	उप वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
15	श्री रविन्द्र नाथ	प्रदान एन.जी.ओ.के प्रतिनिधि